बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ0 नि0 को0 दिनांक 28 अगस्त'20

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार

(2) प्रभारी निर्वाचन पदाधिकारी (इ0आर0ओ0),
सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार

विषय :- **आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप न्यूनतम व अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से इसके कार्यान्वयन का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण करने के संबंध में।**

संदर्भ :- **भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-**464/INST/PwD/2016/EPS **दि0-07.09.2016, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि0-18.02.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-358/आ0नि0को0 दि0-29.03.2019 तथा पत्रांक-896/आ0नि0को0 दि0-18.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र का प्रसंग लेने की कृपा की जाए। यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-11 अन्तर्गत दिव्यांगजनों के विशेष संदर्भ में सुगम्य एवं समावेशी निर्वाचन से सम्बन्धित प्रावधान तथा इस सम्बन्ध मे निर्वाचन आयोग, भारत सरकार तथा निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त निदेशों के अनुपालन, विषयक मामले में दिव्यांगजनों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर अमलकारी सुझावों एवं उन निर्देशों/सुझावों के अनुपालन का राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण करने के संबंध में है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजनों के विशेष संदर्भ में सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में उनकी सहज भागीदारी सुनिश्चित करना भारत निर्वाचन आयोग का केन्द्रीय थीम है। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग, भारत सरकार व निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा यथा प्रदत्त निदेशों के साथ-साथ इस विषय में इस कार्यालय का पत्रांक-358/आ0नि0को0 दि0-29.03.2019 तथा पत्रांक-896/आ0नि0को0 दि0-18.06.2020 का भी संदर्भ ग्रहण करें, जो इससे सम्बन्धित निर्देश/सुझाव तथा दिव्यांगजनों के आगामी विधानसभा चुनाव-2020 में अधिकाधिक भागीदारी हेतु जनजागरूकता प्रसार व अन्य के विषय में है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अध्याय-2 की कंडिका-11 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों के दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य होने तथा निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित सामग्री के उनके लिए सहज एवं सुगम्य होने से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के संगत आवश्यक सुधारकारी उपायों की सिफारिश करने, दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने, इस सम्बन्ध में जागरूकता का संवर्धन करने व इस हेतु आशयित स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण का दायित्व सौंपा गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

कृ0पृ030.............

विगत लोक सभा चुनाव-2019 के दौरान मतदान प्रक्रिया व संचालन तथा वास्तविक मतदान के सम्बन्ध में दिव्यांगजनों द्वारा विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हुई/हो रही है। ये शिकायतें विविध विषयों प्रमुखतया मतदान स्थल तक पहुँच व वास्तविक मतदान की सुगम्यता, मतदान हेतु स्वयंसेवकों की सहायता, ईपिक कार्ड, ब्रेल ईपिक कार्ड प्राप्त नहीं होने, निर्वाचन तंत्र द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की पूर्व व समुचित जानकारी का अभाव तथा सम्बन्धित सम्पर्क पदाधिकारी की जानकारी व उन तक पहुँच की दिक्कतें, मतदाता सूची में दिव्यांग के रूप में चिहिन्त नहीं होने व उपलब्ध सुविधाओं की मतदान केन्द्रगत विषमता इत्यादि से सम्बन्धित है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम2016 अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता हेतु प्रावधानित कृत्यों के संदर्भ में दिव्यांगजनों द्वारा समर्पित परिवाद पत्रों अन्तर्गत उठाए गए बिन्दुओं तथा विगत लोक सभा चुनाव-2019 की मतदान प्रक्रिया व विविध लोक सभा क्षेत्रों के दिव्यांगजन के विशेष संदर्भ में अनुश्रवण के आधार पर निम्न बिन्दु ध्यानार्थ व आवश्यक अनुपालनार्थ उल्लिखित है :-

(i) निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के एक केन्द्रीय थीम के रूप में शामिल सुगम्य मतदान **(Accessible Election)** का मूल उद्देश्य दिव्यांगजनों की मतदान प्रक्रिया मतदान में सहज भागीदारी तथा दिव्यांगजनों को वोटर टर्नआउट अधिकाधिक किया जाना है। इस हेतु ही सुगम्यता से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ व मतदान में भागीदारी के सहायतार्थ स्वयंसेवकों की व्यवस्था इत्यादि निदेशित है। मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी हेतु प्रदत्त इन तमाम व्यवस्थाओं व सहायतार्थ सुविधाओं का लाभ दिव्यांगजनों को मिल पाने के लिए उनका मतदाता सूची में दिव्यांगजन के रूप में दिव्यांगता की उचित कैटेगरी सहित चिन्हित होना आवश्यक है। इस चिन्हीकरण से उन्हे श्रेणीबद्ध करने तथा श्रेणीगत आवश्यक विशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं तदनुरूप प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की व्यवस्था कराने के कार्य में काफी सुगमता हो सकेगी। इस दृष्टि से निम्न बिन्दु अनुपालित किये जाने है :-

(क) सम्पूर्ण राज्य अन्तर्गत समस्त मतदाता सूचियों में चिन्हित दिव्यांगजनों की अद्यतन कुल संख्या-6,77,113 राज्य अन्तर्गत दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या के सापेक्ष्य में काफी कम है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार राज्य में दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या एवं इसमें आगामी दस वर्षो के दौरान हुई वृद्धि तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांग कोटियों की सूची में वृद्धि (07 से बढ़कर 21) किये जाने के पश्चात जनगणना विशेषज्ञ एक आकलन अनुसार वर्तमान में राज्य अन्तर्गत दिव्यांगों की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 51 लाख से तुलना करने पर यह उक्त कमी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती है। तदनुसार मतदाता सूचियों में दिव्यांगजनों को चिन्हित करने के कार्य में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार की आवश्यकता है।

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 अन्तर्गत प्रावधानित/विनिर्दिष्ट कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता कोटियों अनुरूप मतदाता सूची में भी दिव्यांगजनों को इन कोटियों अन्तर्गत चिन्हित/अंकित किया जाए। इससे कोटि विशेष के दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सहायता (**needed help**) की पहचान करने, उस हेतु व्यवस्था करने एवं तदनुसार स्वयंसेवकों को कोटि विशेष के संदर्भ में प्रशिक्षित किए जाने का कार्य किया जा सकेगा। इनके फलस्वरूप दिव्यांगजनों की मतदान में सहज भागीदारी अधिक प्रभावकारी ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।

(ii) विविध दिव्यांगजनों द्वारा यह शिकायत की गई है कि उनके मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की ससमय व मतदान पर्व जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि निर्वाचन तंत्र के विविध स्तरों द्वारा सुगम्य एवं समावेशी मतदान हेतु की गई व्यवस्थाओं, उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विविध साधनों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन(सिविल) संख्या-187/2004 में भी मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं/सुविधाओं की समुचित प्रचार-प्रसार के निदेश दिये गये हैं। कोविड19 के संक्रमण के वर्तमान परिस्थिति अनुसार इस कार्य में परम्परागत प्रचार साधनों के साथ-साथ सोशन मीडिया प्लेटफार्म के विविध साधनों यथा **Youtube, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram** एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित **PwD App** को अधिक कारगर ढंग से अपनाने पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। दिनाक 27 जून 2020 को कार्यालय द्वारा 140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर आयोजित विविध ऑनलाईन मीडिया माध्यम से वचुअल ई-जनजागरूकता-सह-ई संवाद कार्यक्रम में इस हेतु जागरूकता प्रसार पर विशेष बल दिया गया था।

(iii) दिव्यांगजनों को किस प्रकार अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना है अर्थात मतदान स्थल जाकर अथवा पोस्टल बैलेट के माध्यम से, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे समुचित रूप से प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है।

(iv) दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार ईपिक कार्ड एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल ईपिक कार्ड उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है।

(v) दिव्यांगजनों को मतदान करने में सहायतार्थ नियुक्त किये जाने वाले विविध कोटियों के स्वयंसेवकों के समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अलग-अलग कोटि के दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आवश्यक सुविधाओं एवं उन्हें प्रदान करने की विधियों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

(vi) मतदान के प्रति दिव्यांगजनों के उत्साह में वृद्धि हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 आइकन्स **(PwD Icons)** की नियुक्ति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर की जाए।

(vii) दिव्यांगजनों में मतदान प्रक्रिया के प्रति रूझान में वृद्धि एवं उनके वोटर टर्नआउट बढ़ाने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 मैनेज्ड **(PwD Managed)** मतदान केन्द्रों की संख्या में दिव्यांगजनों की जनसंख्या अनुरूप आनुपातिक वृद्धि की जाए।

(viii) सुगम्य एवं समावेशी मतदान की प्रभावकारी व्यवस्था हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निदेशों एवं सुझावों को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के पत्रांक-464/ पी0डब्ल्यू0डी0/2018-इ.पी.एस. दि0-28.08.2018 के निदेशानुसार प्रत्येक राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश में दिव्यांगजनों के संदर्भ में सुगम्य एवं समावेशी मतदान के उद्देश्यार्थ राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय व विधान सभा स्तरीय समितियों का गठन किया जाना है एवं नियमित अंतराल पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जानी है। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र में इन समितियों के **Constitution and terms of reference** भी प्रावधानित है। इस कार्यालय द्वारा जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह इन समितियों के गठन में सहायक हो सकते हैं। जिला स्तरीय, विधान सभा स्तरीय गठित समितियों के कार्रवाई प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्यालय द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण का कार्य किया जा सकेगा एवं इसके आधार पर यथा आवश्यकता अनुसार मामले को समुचित पदाधिकारियों के पास उठाये जाने के उत्तरदायित्व का निर्वहण किया जा सकेगा।

अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग की सुगम्य एवं समावेशी निर्वाचन हेतु प्रतिबद्धता के आलोक में उपर्युक्त निर्देशों/सुझावों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अनुपालित कराने की कृपा की जाय एवं इसके सम्बन्ध में एक अनुपालन प्रतिवेदन स्वयं अथवा दिव्यांगजनों के समावेशी मतदान हेतु नामित नोडल पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इस सम्बन्ध में कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों पत्रांक-358/आ0नि0को0 दि0-29.03.2019 तथा पत्रांक-896/आ0नि0को0 दि0-18.06.2020 तथा उपरोक्त वर्णित निदेशों के अनुपालन/कार्यान्वयन का राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा स्वयं के स्तर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार स्थलीय/भौतिक अनुश्रवण किया जायेगा ताकि अधिनियम,2016 में वर्णित कृत्यों का सम्यक निर्वहण किया जा सके। सुलभ संदर्भ के लिए कार्यालय पत्रांक-358/आ0नि0को0 दि0-29.03.2019 की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/08/20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को उनके निर्वाचन प्रक्रिया में सुगम्यता अनुवीक्षक (Accessible Observer) के रूप में नामित होने के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/08/20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/08/20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15, को में सूचनार्थ प्रेषित।

28/08/20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.08.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/08/20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/08/20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-1161/आ० नि० को० दिनांक 28 अगस्त'20

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

28/08/20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।